



पत्रांक – /उ0शि0नि0मं0/अल्मोड़ा।

दिनांक :- 18.02.2024

श्री महेन्द्र कुमार,  
वरिष्ठ विधि अधिकारी  
उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड  
विक्टोरिया क्रॉस विजेता, गबर सिंह ऊर्जा भवन,  
कांवली रोड, देहरादून – 248001  
ई-मेल – [webadmin@upcl.org](mailto:webadmin@upcl.org) एवं [cgrf9ocupcl@gmail.com](mailto:cgrf9ocupcl@gmail.com)

**विषय :- मा0 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचो द्वारा प्रतिमाह पारित आदेशों के सम्बन्ध में।**

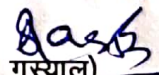
उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 1438MK/म0प्र0(विधिक) एवं क0स0/उपाकालि/ दिनांक 05.10.2023 के अनुपालन में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच अल्मोड़ा में निम्नलिखित लम्बित प्रकरणों में पारित अन्तिम आदेशों की PDF फाइल आपके द्वारा पत्र में उल्लिखित ई-मेल [webadmin@upcl.org](mailto:webadmin@upcl.org) एवं [cgrf9ocupcl@gmail.com](mailto:cgrf9ocupcl@gmail.com) पर आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जा रही है।

**कृपया उपरोक्त का संज्ञान लें।**

**संलग्न :- निम्न वादों में पारित अन्तिम आदेशों की प्रतिलिपि।**

**वाद संख्या- CG95/2023, CG120/2023, CG133/2023, CG144/2023, CG145/2023, CG146/2023, CG147/2023, CG149/2023, CG150/2023, CG161/2024, CG164/2024, CG166/2024**

**कुल – 12**

(चामू सिंह गस्थाल)   
न्यायिक सदस्य



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या-166/2024

श्री मोहन राम  
निवासी बड़यूडा  
पोस्ट बेह  
अल्मोड़ा

वादी

बनाम

अधिशाली अभियंता  
विद्युत वितरण खण्ड  
अल्मोड़ा

प्रतिवादी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने अपना बिल संयोजन संख्या एआर 1235413803 के सापेक्ष मई 2022 से जमा नहीं किया है। विगत में उनका बिल 250-300 रूपए तक प्रतिमाह आता था जो कि एकाएक 32000 रूपए का हो गया। उन्होंने बिल को ठीक करवाने के लिये अनुरोध किया है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 506 दिनांक 13.02.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की सुनवाई तिथि आज दिनांक 18.02.2024 में वादी की तरफ से श्री मोहन राम तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान सहायक अभियंता राजस्व उपस्थित हुए। श्री चौहान ने बताया कि वादी का बिल आरडीएफ पर निर्गत हुआ था जिसको दिनांक 22.01.2022 से 14.02.2024 तक संशोधित करते हुए अब बिल राशि रु.8000 आती है। जिस पर वादी ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की है तथा बिल को जमा करने के लिये पंद्रह दिन के समय का अनुरोध किया है, जिसे मंच ने स्वीकार कर लिया है।

आदेश

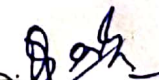
विभाग द्वारा आरडीएफ बिल को दिनांक 22.01.2022 से 14.02.2024 तक संशोधन करने तथा संशोधित बिल पर वादी द्वारा संतुष्टि व्यक्त करने के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 18.02.2024

  
पुष्कर सिंह रावत  
सदस्य उपभोक्ता

  
ओपीओ दीक्षित  
सदस्य तकनीकी

  
चामू सिंह गस्याल  
सदस्य न्यायिक



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या-164/2024

श्री कुलदीप कुमार  
निवासी बड़यूडा  
पोस्ट बेह  
अल्मोड़ा

वादी

बनाम

अधिशाली अभियंता  
विद्युत वितरण खण्ड  
अल्मोड़ा

प्रतिवादी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि विगत दो चार महीनों में उनका बिल 19036 रूपए आया है, जबकि पहले यह 200 से 300 रूपए तक आता था। उन्होंने बताया कि चैक मीटर लगवाने के पश्चात भी कोई संतोषजनक परिणाम नहीं आया। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 504 दिनांक 13.02.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की सुनवाई तिथि आज दिनांक 18.02.2024 में वादी की तरफ से श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री चंदनराम, उपभोक्ता तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान सहायक अभियंता राजस्व उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी के परिसर पर चैक मीटर लगाया गया था जिसकी तुलना करने पर मेन मीटर सही पाया गया। श्री चौहान से वार्तालाप करने तथा बिलिंग हिस्ट्री देखने के पश्चात संज्ञानित हुआ है कि वादी का पिछले पांच साल का प्रतिमाह का उपभोग लगभग 50 यूनिट के आस पास रहा है जिसका वह अक्टूबर 2023 तक भुगतान करता रहा है। माह सितम्बर 2023 में वादी का 4651 यूनिट का बिल आरडीएफ पर बना जिसे विभाग ने दिनांक 19.07.2022 से दिनांक 30.07.2023 तक आरडीएफ आधार पर तथा दिनांक 13.02.2024 तक 7453 यूनिट का बिल संशोधित किया है जिसके आधार पर वादी का बिल रु.20856 बनता है जो सही है। वादी ने उपरोक्त बिल पर अपनी सहमति व्यक्त की है और अपनी वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए उपरोक्त बिल को 1000 रूपए प्रतिमाह करेंट बिल के साथ जमा करने का अनुरोध किया है, जिसको परिस्थितियों को देखते हुए मंच ने स्वीकार कर लिया।

18/2/2024



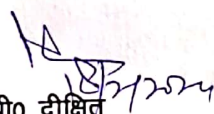
### आदेश

विभाग द्वारा वादी का बिल संशोधित करने तथा वादी द्वारा संशोधित बिल पर संतुष्टि व्यक्त करने के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वादी के बिल रु.20856 को करेंट बिल के साथ 1000 रूपए की मासिक किश्तों में भुगतान करने की सुविधा दी जाए।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 18.02.2024

  
पुष्कर सिंह रावत  
सदस्य उपभोक्ता

  
ओपीओ दीक्षित  
सदस्य तकनीकी

  
चामू सिंह गस्सियाल  
सदस्य न्यायिक



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या-161/2024

श्री केशव दत्त पाण्डे  
निवासी धारी  
पोस्ट धामस  
अल्मोड़ा

वादी

बनाम

प्रतिवादी

अधिशाली अभियंता  
विद्युत वितरण खण्ड  
अल्मोड़ा

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या एआर 161411797630 के सापेक्ष दिनांक 22.11.2023 को रु. 17469 का बिल प्राप्त हुआ था जो कि उनकी खपत के अनुकूल नहीं है। उन्होंने बिल को ठीक करवाने के लिये अनुरोध किया है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 490 दिनांक 09.02.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की सुनवाई तिथि आज दिनांक 18.02.2024 में वादी की तरफ से श्री हरीश पाण्डे तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान सहायक अभियंता राजस्व उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि यह प्रकरण डम्प रीडिंग से संबंधित है जिसमें तत्कालीन टैरीफ स्लैब का लाभ देते हुए वादी का बिल रु.18330 से रु. 10500 संशोधित कर दिया है जो सही है और वादी द्वारा भुगतान करना है। वादी द्वारा एकमुश्त उपरोक्त बिल जमा करने में असमर्थता जताई गई है तथा उन्होंने करेंट बिल के साथ इसे प्रतिमाह चार किश्तों में भुगतान करने का अनुरोध किया है जिसे मंच ने स्वीकार कर लिया है।

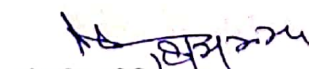
आदेश

विभाग द्वारा तत्कालीन टैरीफ स्लैब का लाभ देते हुए बिल संशोधन तथा वादी द्वारा इस पर संतुष्टि व्यक्त करने के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 18.02.2024

  
पुष्कर सिंह रावत  
सदस्य उपभोक्ता

  
ओपीओ दीक्षित  
सदस्य तकनीकी

  
चामू सिंह गस्याल  
सदस्य न्यायिक



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या-150/2023

श्री प्रताप सिंह  
पुत्र श्री पान सिंह  
ग्राम एवं पोस्ट डाल  
अल्मोड़ा

वादी

बनाम

अधिशाली अभियंता  
विद्युत वितरण खण्ड  
अल्मोड़ा

प्रतिवादी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या एआर 11515003719 के सापेक्ष विगत माहों में ठीक बिल आ रहा था परंतु दिसम्बर 2023 में उनका बिल 56021 रूपए आया है जो बहुत अधिक है। उन्होंने बिल को ठीक करवाने हेतु अनुरोध किया है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 445 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 07.02.2024 में वादी की तरफ से श्री प्रताप सिंह तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान सहायक अभियंता राजस्व उपस्थित हुए। विभाग ने दिनांक 13.09.2023 से 07.01.2024 तक बिल का रू. 56929 का संशोधन किया है। वादी ने बताया कि उनका मकान 4 कमरों का है जिनमें सिर्फ बल्ब जलते हैं और उनका पूरा परिवार हरिद्वार में रहता है। अतः इतना भारी भरकम बिल आना उचित नहीं है। बिल हिस्ट्री देखने पर संज्ञानित होता है कि वादी का मीटर सितम्बर 2023 से आरडीएफ रहा है तथा इससे पहले का उपभोग हर बिलिंग साइकिल में भारी अनियमित है।
3. विभाग ने बताया कि वादी का मीटर बदल दिया गया है।

आदेश

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि नए मीटर के 6 महीने के उपभोग के आधार पर अनियमित उपभोग अवधि का बिल पुनः निर्धारित किया जाए। इस बीच वादी प्रतिमाह करंट बिल के साथ 1000 रूपए जमा करते रहेंगे तथा बिल संशोधित होने तक वादी की बिजली ना काटी जाए।

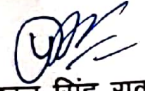


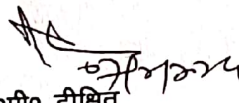
विभाग को यह भी निर्देशित किया जाता है कि मीटर बदलने के 6 महीने व्यतीत होने के पश्चात 10 दिन के अंदर वादी को संशोधित बिल उपलब्ध कराएं तत्पश्चात 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

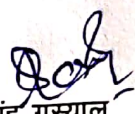
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 07.02.2024

  
पुष्कर सिंह रावत  
सदस्य उपभोक्ता

  
ओपीओ दीक्षित  
सदस्य तकनीकी

  
चामू सिंह गस्याल  
सदस्य न्यायिक



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या-149/2023

वादी

श्री बसंत सिंह जीना  
ग्राम चम्पा, पोस्ट शीतलाखेत  
अल्मोड़ा

बनाम

प्रतिवादी

अधिकांसी अभियंता  
विद्युत वितरण खण्ड  
अल्मोड़ा

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या एआर 16415403858 के सापेक्ष 52552 रूपए का बिल आया है, जबकि उनके नए मीटर में रीडिंग 585 है। उन्होंने बताया कि उनका पुराना मीटर बंद/खराब चल रहा था जिसको विभाग में जमा कराया गया था जिसकी रीडिंग के आधार पर मार्च 2023 में रूपए 5640 जमा किये थे। उन्होंने बिल संशोधन के लिये निवेदन किया है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 444 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिकांसी अभियंता विद्युत वितरण खंड अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 07.02.2024 में वादी की तरफ से श्री बसंत सिंह जीना तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान सहायक अभियंता राजस्व उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी का बिल दिनांक 15.01.2021 से दिनांक 27.01.2024 तक संशोधित होकर रु.1671 का बना है जिससे वादी संतुष्ट है। वादी द्वारा यह बिल 10 दिन के अंदर जमा करा दिया जाएगा।

आदेश

विभाग द्वारा बिल संशोधन करने तथा वादी द्वारा उस पर संतुष्टि के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनांक - 07.02.2024

पुष्कर सिंह रावत  
सदस्य उपभोक्ता

ओपीओ दीक्षित  
सदस्य तकनीकी

चामू सिंह गस्याल  
सदस्य न्यायिक





उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या-147 / 2023

डॉ. गोपाल सिंह नयाल  
लोअर मालरोड, खतियाड़ी  
अल्मोड़ा

वादी

बनाम

अधिशाली अभियंता  
विद्युत वितरण खण्ड  
अल्मोड़ा

प्रतिवादी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके मकान की छत से मात्र डेढ़ दो फीट की दूरी पर हाई वोल्टेज विद्युत लाइन गुजर रही है जिससे कभी कोई दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। उन्होंने इस लाइन को शिफ्ट करने का अनुरोध किया है। पोल/लाइन शिफ्टिंग के लिये विभाग द्वारा पहले से ही एक पॉलिसी निर्धारित है। जिसके अनुसार शिफ्टिंग कार्य किया जाता है। हालांकि यह प्रकरण मंच के अधिकार क्षेत्र के बाहर आता है परंतु कोई मानवीय दुर्घटना ना हो, इसके लिये प्रकरण को मंच के समक्ष सुनवाई के लिये पंजीकृत कर लिया गया है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 442 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 19.01.2024 तथा आज की सुनवाई तिथि दिनांक 07.02.2024 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान सहायक अभियंता राजस्व ने बताया कि वादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

विभाग द्वारा वादी की समस्या के समाधान किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 07.02.2024

पुष्कर सिंह रावत  
सदस्य उपभोक्ता

ओपीओ दीक्षित  
सदस्य तकनीकी

चामू सिंह गस्याल  
सदस्य न्यायिक

निर्णय सुनिश्चित  
16-02-24



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या-146/2023

वादी

श्रीमती जया पांडे  
पत्नी श्री प्रकाश चंद्र पांडे  
डुबकिया, अल्मोड़ा

बनाम

प्रतिवादी

अधिशाली अभियंता  
विद्युत वितरण खण्ड  
अल्मोड़ा

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके मीटर में तकनीकी खराबी के कारण उनके मीटर की रीडिंग जम्प करके 12204 से 17040 यूनिट आई हैं जिससे उनके एक माह का विद्युत बिल रु.5890 आया है। उन्होंने दिनांक 06.05.2023 से 16.11.2023 तक प्राप्त किये बिलों का विवरण देते हुए प्रतिमाह औसत रु.538 संशोधित करने के लिये अनुरोध किया है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 440 दिनांक 18.12.2023 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 07.02.2024 को वादी की तरफ से श्रीमती जया पांडे मय श्री प्रकाश चंद्र पांडे पति, तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान सहायक अभियंता राजस्व उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि मंच के निर्देश दिनांक 19.01.2024 के अनुपालन में मीटर की एमआरआई करने की कोशिश की गई परंतु एमआरआई नहीं हो पाई। उन्होंने यह भी बताया कि वादी के परिसर में चैक मीटर लगाया गया था जिसमें -1 प्रतिशत की डेविएशन आई है जो कि परमिसिबल लिमिट के अंदर है। उपभोक्ता की बिल हिस्ट्री देखने पर पाया गया कि वादी का प्रतिमाह का उपभोग 100-150 यूनिट रहा है, जबकि नवंबर 2023 में यह 946 यूनिट तथा दिसंबर 2023 में 4063 यूनिट आया है। इससे प्रतीत होता है कि यह प्रकरण डम्प रीडिंग से संबंधित है।

आदेश

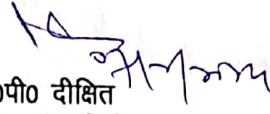
विभाग को निर्देशित किया जाता है कि पिछले मीटर बदलने की तिथि से डम्प रीडिंग को वितरित करते हुए तथा तत्कालीन टैरिफ स्लैब का लाभ देते हुए 10 दिन के अंदर संशोधित बिल वादी को उपलब्ध कराएं। तत्पश्चात 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

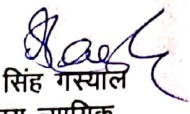
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 07.02.2024

  
पुष्कर सिंह रावत  
सदस्य उपभोक्ता

  
ओपीओ दीक्षित  
सदस्य तकनीकी

  
चामू सिंह गस्याल  
सदस्य न्यायिक

निर्णय प्राप्त है,  
  
18-02-24





उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या-145/2023

वादी

श्री रविंद्र सिंह बिष्ट  
पुत्र श्री कन्हैया बिष्ट  
मकान नं.05 मेन कोसी बाजार  
कटारमल, अल्मोड़ा

बनाम

प्रतिवादी

अधिशाली अभियंता  
विद्युत वितरण खण्ड  
अल्मोड़ा

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि सुचारु विद्युत आपूर्ति हेतु उनके मकान के आगे पेड़ के पातन करने की जरूरत है क्योंकि उस पेड़ के पास से विद्युत लाइन जा रही है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 431 दिनांक 05.12.2023 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 07.02.2024 को वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान सहायक अभियंता राजस्व ने बताया कि वादी की समस्या का समाधान किया जा चुका है तथा सुचारु विद्युत आपूर्ति में अब कोई व्यवधान नहीं है। उपरोक्त की पुष्टि के लिये वादी द्वारा दिये गए दूरभाष संख्या पर संपर्क करने की कोशिश की गई परंतु संपर्क नहीं हो पाया।

आदेश

विभाग द्वारा वादी की समस्या के समाधान किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 07.02.2024

पुष्कर सिंह रावत  
सदस्य उपभोक्ता

ओपीओ दीक्षित  
सदस्य तकनीकी

चामू सिंह गस्याल  
सदस्य न्यायिक

निर्णय प्रमाणित  
16.02-24



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या-144 / 2023

वादी

श्री चंदन सिंह मेहरा  
ग्राम उसकोना, पोस्ट बड़सीमी  
अल्मोड़ा

बनाम

प्रतिवादी

अधिशाली अभियंता  
विद्युत वितरण खण्ड  
अल्मोड़ा

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके कनेक्शन संख्या एआर 1229/402071 के सापेक्ष सितंबर तक सही रीडिंग आ रही थी लेकिन अक्टूबर में बिल काफी अधिक आ गया। जिसके लिये उन्होंने चैक मीटर लगाने का आवेदन किया था जो कि सही पाया गया। उन्होंने बड़े हुए बिल रु. 9500 को कम करने के लिये निवेदन किया है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 430 दिनांक 05.12.2023 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 07.02.2024 को विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान सहायक अभियंता राजस्व उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि वादी का बिल मीटर बदलने की तिथि दिनांक 29.06.2019 से 26.01.2024 तक कुल 55 माह तक 3646 रीडिंग का संशोधन कर दिया गया है तथा संशोधित धनराशि 10046 रूपए बनती है जो सही है तथा वादी को जमा करनी है। मंच की पिछली सुनवाई तिथि दिनांक 19.01.2024 में उपस्थित वादी की पत्नी श्रीमती चंपा देवी के अनुरोध पर आज मंच की सुनवाई में उनके फोन नंबर 8476965990 पर ऑडियो तथा वीडियो कॉल द्वारा संपर्क करने का प्रयास किया गया परंतु संपर्क नहीं हो पाया।

आदेश

विभाग द्वारा मीटर बदलने की तिथि दिनांक 29.06.2019 से दिनांक 26.01.2024 तक बिल संशोधन के परिप्रेक्ष्य में वादी को कहा जाता है कि वह 15 दिन के अंदर बिल संशोधित राशि 10046 रु. का बिल भुगतान करे।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनांक - 07.02.2024

पुष्कर सिंह रावत  
सदस्य उपभोक्ता

ओपीओ दीक्षित  
सदस्य तकनीकी

चामू सिंह गस्याल  
सदस्य न्यायिक

18-02-24





उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या-133/2023

वादी

श्री बलवन्त प्रसाद  
ग्राम खूंट, पोस्ट धामस  
अल्मोड़ा

बनाम

प्रतिवादी

अधिशाली अभियंता  
विद्युत वितरण खण्ड  
अल्मोड़ा

### निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या एआर 11519403323 के सापेक्ष 2022 में 91000 रूपए का बिल आया था जिसमें से उन्होंने 30000 रूपए जमा कर दिये थे। उन्होंने इतने भारी भरकम बिल को ठीक करने के लिये निवेदन किया है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 404 दिनांक 23.10.2023 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 07.02.2024 में वादी की तरफ से श्रीमती मीना देवी तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान सहायक अभियंता राजस्व उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी के परिसर में चैक मीटर लगाया गया था जिसकी तुलना करने पर मेन मीटर सही पाया गया।
3. विभाग ने बताया कि यह प्रकरण डम्प रीडिंग से संबंधित है जिसमें डम्प रीडिंग की अवधि में तत्कालीन टैरिफ स्लैब का लाभ देते हुए वादी का बिल 84470 रूपए से संशोधित होकर 26296 रूपए बना है। वादी ने उपर्युक्त बिल एकमुश्त जमा करने में असमर्थता व्यक्त की है तथा इसे 6 मासिक किश्तों में जमा करने का अनुरोध किया है जिसे मंच ने स्वीकार कर लिया है।

### आदेश

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि संशोधित बिल 26296 रूपए को करंट बिल के साथ 6 मासिक किश्तों में जमा करने के लिये वादी को अनुमति दी जाए। विभाग द्वारा बिल संशोधन करने तथा वादी द्वारा उस पर संतुष्टि के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

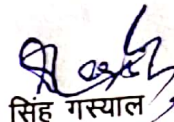


उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 07.02.2024

  
पुष्कर सिंह रावत  
सदस्य उपभोक्ता

  
ओपीओ दीक्षित  
सदस्य तकनीकी

  
चामू सिंह गस्याल  
सदस्य न्यायिक



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या-120 /2023

वादी

श्री राम सिंह  
पुत्र मदन सिंह  
ग्राम पाखुड़ा, हवालबाग  
अल्मोड़ा

बनाम

प्रतिवादी

अधिशाली अभियंता  
विद्युत वितरण खण्ड  
अल्मोड़ा

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके घरेलू विद्युत संयोजन संख्या एआर 11225/002104 पर अत्यधिक बिल आने के कारण उन्होंने चैक मीटर लगवाया था जिसमें 9 प्रतिशत की त्रुटि दर्शाई गई है। मार्च 2023 में उनकी रीडिंग 6496 दर्शायी गई थी जबकि मई माह में 168248 दर्शायी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि चैक मीटर लगाने के बाद उनका मीटर बदल दिया गया था। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 347 दिनांक 09.08.2023 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की सुनवाई तिथि 17.08.2023 में वादी की तरफ से श्री राम सिंह तथा विभाग की तरफ से श्री संतोष अग्रवाल उपखण्ड अधिकारी उपस्थित हुए। विभाग की ओर से बताया कि गया कि चैक मीटर की रिपोर्ट मीटर विभाग से लेकर अगली सुनवाई तिथि पर विस्तृत आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
3. मंच की सुनवाई तिथि 13.09.2023 में विभाग की ओर से श्री आयुष चौहान सहायक अभियंता राजस्व ने बताया कि वादी का मीटर जून माह में बदल दिया गया है क्योंकि चेक मीटर लगाने पर मेन मीटर में नौ प्रतिशत की त्रुटि पाई गई थी।

आदेश

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि नए मीटर की रीडिंग के आधार पर सीजनल प्रभाव को देखते हुए 2 बिलिंग साइकिल कम से कम चार महीने के आधार पर डिफेक्टिव अवधि का पुनः निरीक्षण किया जाए तथा चार महीने के पश्चात बिल संशोधित कर 10 दिन के अंदर उपभोक्ता को संशोधित बिल निर्गत कर विभाग मंच के समक्ष 15 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 13.09.2023

पुष्कर सिंह रावत  
सदस्य उपभोक्ता

ओपीओ दीक्षित  
सदस्य तकनीकी

चामू सिंह गस्याल  
सदस्य न्यायिक

18-02-24





उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या-95/2023

श्री हरीश सिंह नेगी  
पुत्र बच्ची सिंह नेगी  
ग्राम व पोस्ट हवाल बाग  
अल्मोड़ा

वादी

बनाम

अधिशाली अभियंता  
विद्युत वितरण खण्ड  
अल्मोड़ा

प्रतिवादी

निर्णय

1. शिकायतकर्ता ने अपने शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या एआर 1217001727 पर दिनांक 15.07.2021 तक का 2340 रीडिंग का बिल आया था इसके पश्चात 16.05.2022 तक बिल एनए में आया है। उन्होंने बताया कि सितंबर माह में रीडिंग 32112 थी जबकि यह 16.09.2022 को 156877 हो गई। जो कि उनकी विद्युत खपत की तुलना में अत्यधिक है। उन्होंने मीटर के जम्प करने का अंदेशा जताया है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 253 दिनांक 17.03.2023 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 02.05.2023 को वादी की तरफ से श्री हरीश सिंह नेगी तथा विभाग की तरफ से श्री संतोष अग्रवाल उपखण्ड अधिकारी उपस्थित हुए। वादी ने बताया कि उनके मीटर के साथ एक चैक मीटर लगाया गया था जिसकी रीडिंग 25 यूनिट आई थी, जबकि मेन मीटर की रीडिंग 44 यूनिट थी, यानि मेन मीटर 56.87 प्रतिशत के अंतर से रीडिंग दर्शाता है। उन्होंने यह भी बताया कि मेन मीटर को विभाग ने खराब मानते हुए उतार लिया था। जैसा कि विभाग की रिपोर्ट नंबर 3028/25 दिनांक 13.10.2022 में दिखाया गया है। चैक मीटर की रिपोर्ट 2/27 की रिपोर्ट में अंकित है। विभाग की तरफ से श्री संतोष अग्रवाल ने बताया कि चैक मीटर के आधार पर बिल का पुनः निरीक्षण कर दिया जाएगा। विभाग को निर्देशित किया गया कि वादी के निवेदन पर पुनरीक्षित बिल को 8 मासिक किश्तों में वितरित करंट बिल के माह के साथ जमा किया जाए।
3. विभाग द्वारा यथा समय मंच के आदेश पर कार्यवाही नहीं किये जाने पर प्रकरण को 12.06.2023 को पुनः सुना गया। जिसमें वादी की तरफ से श्रीमती पन्ना देवी पत्नी श्री हरीश सिंह नेगी उपस्थित हुई। मंच के आदेश दिनांक 02.05.2023 के अनुसार चैक मीटर के आधार पर बिल को पुनरीक्षित कर 6 मासिक किश्तों में जमा करने के लिये निर्देशित किया गया था। विभाग की ओर से उपस्थित श्री संतोष अग्रवाल उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि सही सूचना के अभाव में बिल का पुनरीक्षण नहीं हो सका जिसका उन्हें खेद है।

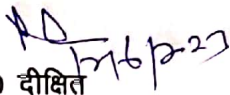
### आदेश

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि 3 कार्यदिवसों के अंदर वादी का बिल संशोधित कर 6 मासिक किश्तों में जमा करवाया जाए तथा इसके लिये वादी के मोबाइल 8958682154 पर सूचित किया जाए।  
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 12.06.2023

  
पुष्कर सिंह रावत  
सदस्य उपभोक्ता

  
ओपीओ दीक्षित  
सदस्य तकनीकी

  
चामू सिंह गस्याल  
सदस्य न्यायिक